

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ आदेश ॥


पटना-15, दिनांक- 20.11

संख्या-12/विविध-5009/16-सा0प्र0- 15557 / भारत के महामहिम राष्ट्रपति का दिनांक 26.11.2016 को भागलपुर परिभ्रमण के अवसर पर कानून व्यवस्था के संधारण हेतु जिला पदाधिकारी, भागलपुर के अनुरोध के आलोक में बिहार प्रशासनिक सेवा के विभिन्न जिलों में पदस्थापित मूल कोटि के निम्नांकित पदाधिकारियों को दिनांक 24.11.2016 से 27.11.2016 तक के लिए समाहरणालय, भागलपुर में प्रतिनियुक्त किया जाता है:-

क्रम सं०	पदाधिकारी का नाम, कोटि क्रमांक एवं गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	मोबाईल नं०
1	2	3	4
1	श्री सुधीर कुमार, 1251/11, भोजपुर	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया	9661445875
2	श्री मुकेश कुमार सिन्हा, 1141/11, गया	वरीय उप समाहर्ता, खगड़िया	9431844933
3	श्री राजेश कुमार, 1016/11, बेगूसराय	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, लखीसराय	9431063114
4	श्री मुकेश कुमार, 1346/11, पटना	वरीय उप समाहर्ता, लखीसराय	9472670002
5	श्री सुरेश, 700/11, उ०प्र०	वरीय उप समाहर्ता, पूर्णियाँ	9973960370
6	श्री संजय कुमार वर्मा, 1005/11, पूर्णियाँ	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बेगूसराय	9431465664
7	श्री कुमार अनिल सिन्हा, 1050/11, जहानाबाद	वरीय उप समाहर्ता, बेगूसराय	9334312990
8	श्री राम निरंजन चौधरी, 828/11	वरीय उप समाहर्ता, जमुई	9431261686
9	श्री ओम प्रकाश मंडल, 1081/11, लखीसराय	वरीय उप समाहर्ता, मुंगेर	9470746437
10	श्री प्रेम कान्त सूर्य, 1363/11, जहानाबाद	वरीय उप समाहर्ता, मुंगेर	9989572525

3. उपर्युक्त सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी दिनांक 24.11.2016 के पूर्वाह्न में जिला पदाधिकारी, भागलपुर के समक्ष योगदान करेंगे ।


4. भारत के महामहिम राष्ट्रपति के भागलपुर परिभ्रमण के समाप्त होने पर सभी पदाधिकारी अपने पदस्थापन वाले पद पर स्वतः योगदान करेंगे ।


(अनिल कुमार)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-12/विविध-5009/16-सा0प्र0- 15557 /पटना, दिनांक- 20.11.2016

प्रतिलिपि-आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर/जिला पदाधिकारी, भागलपुर/सभी संबंधित पदाधिकारी/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सा प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रबंधक, आई०टी०, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित पदाधि को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


सरकार के विशेष सचिव